रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2476] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2015/कार्तिक 29, 1937
No. 2476] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2015/KARTIKA 29, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2015

का.आ. 3128(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिला में 77° 07'´20" से 77°16'44" पू. देशांतर के बीच और 30"53'36" से 31°00'42" उ° अक्षांश के बीच अवस्थित है और 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ।

और वनस्पतिजात और प्राणीजात इस अभ्यारण्य के समुद्र जैविक महत्व को प्रस्तुत करते हैं। अभयारण्य में पाई गई मुख्य वन्यजीव प्रजातियां मुंजक, सांभर, तेंदुआ, ब्लैक बी, गोरल, लघुपुच्छ वानर, लंगूर, साही हैं। पक्षियों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां चीर फैजेन्ट, चकोर कालिज, रॉड जंगल मुर्गा, इंडियन पी मुर्गा, चित्ती धवर, कठफोड़वा इत्यादि हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में अन्य अकशेरूकी, उभयचर और सरीसृप भी पाए जाते हैं। हिरण की अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियां अर्थात् घोरल इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। पाई गई अन्य मुख्य प्रजातियां चीर फैजेन्ट, तेंदुआ, गोरल, मुंजक हैं।

अभयारण्य में मिश्रित वनों के रूप में बहुत अच्छी वनस्पति है जबकि खुले अकृष्ट भूमि झाडियों सहित घास से ढकी हुई है। इस क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियों में से देवदार द्वारा ऊपरी हिस्सा आच्छादित है। अन्य प्रजातियों में वान ओक, केल, स्प्रूस, सिल्वर फर, पहाड़ी पीपल, रोडोडेनड्रॉन, चीड़, कैंथ, खानूर, एकासिया मोलीसिया इत्यादि शामिल हैं। मध्य का विवरण नगण्य है और भूमि पर वनस्पतिजात अनेक झाड़ी की प्रजातियों जैसे डेसमोडियम, इंडिगोफेरा, सेलिक्स, बेरबेरिस रोजा, सबस और डेकने इत्यादि द्वारा अच्छादित हैं। भूमि पर वनस्पतिजात में विभिन्न घास प्रजातियां, पर्णांगों के प्रकार और संवहनी जड़ी बूटियां भी शामिल हैं।

और उक्तपारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में चैल वन्यजीव अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर इस अधिसूचना के पैरा (1) में विनिर्दिष्ट विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितयों संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण उघोगों के वर्गो का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य में चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, की सीमा के चारों ओर 375 मीटर तक के विस्तार क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन चैल वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 0.7 से 4.2 किलोमीटर के विस्तार से 34.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ।

(2) और चैल वन्यजीव अभ्यारण्य के सीमा के ब्यौरे तथा भूमंडलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक के निबंधनों में इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने-वाले ग्रामों की सूची का वर्णन **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ सीमा के ब्यौरे के साथ अक्षांश और देशांतर का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए उक्त महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) उक्त महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण,

(ii) वन,

(iii) नगर विकास, ;

(iv) पर्यटन,

(v) नगरपालिका,

(vi) राजस्व,

(vii) कृषि,

(viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(ix) सिंचाई, और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(6) उक्त योजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और उक्त महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(7) उक्त महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) उक्त महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि

क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) उक्त महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 12,23,30,31और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि,

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना और नई सड़कों के संनिर्माण,

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ;

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत –** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय चैल वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे;

परंतु अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित

होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां –**

(क) विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत कोई नए काष्ठ आधारित उद्योग का स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योगों का स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	नए वृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं का स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	कोई संनिर्माण क्रियाकलाप तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा एक से दस से अधिक पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी के तटों और प्राकृतिक नाला से 100 मीटर तक अन्यथा अनुज्ञात न कर दिया ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पोलिथीन थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	यांत्रिक तरीकों से मछली पकड़ना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
11.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक

		किलोमीटर भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होंगे ।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परंतु यह और भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे । इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर आगे और इसकी सीमा तक वास्तविक स्थानीय निवासियों की जरूरतों के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	खाई स्थल ।	नए खाई स्थल का स्थापन प्रतिषिद्ध किया जाएगा । पुराने खाई स्थलों को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा ।
15.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	भू-जल का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया जाएगा ।
20.	प्रवासी चरवाहे ।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	विद्यमान स्थापन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	विद्युत तारों का तापावरोधन ।	भूमिगत केबल को उन्नत किया जाएगा । पारिस्थितिक संवेदी जोन से गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना के अनुसार विहित की गई समय सीमा में पर्याप्त रूप से तापावरोधन किया जाएगा ।
23.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
24.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव, होटल या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों की मुक्त आवाजाही अनुज्ञात करने के अनुक्रम में कांटेदार तार के साथ उनकी सम्पत्ति में कोई बाड़ नहीं लगाई जाएगी और एक मीटर से ऊंची कोई बाड़ नहीं लगाई जाएगी । इस अनुबंध का अनुपालन करने में किसी विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
25.	टीडी अधिकार ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	राल दोहन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकिलाप		
27.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
28.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
29.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

30.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी हेतु एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो निम्न प्रकार है :-

(i) उपायुक्त, सोलन - अध्यक्ष

(ii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(iii) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि (जो पर्यावरण सहित विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है) उसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य

(iv) कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य

(v) ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य

(vi) प्रभागीय वन अधिकारी, शिमला - सदस्य

(vii) प्रभागीय अधिकारी, सोलन – सदस्य

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान का भारसाधक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/50/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

चैल वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के ब्यौरे और चैल वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के साथ इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दुओं का निर्देशांक

क्र.सं.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	ई01	77° 7.569' पू	30° 57.728' उ.
2	ई02	77° 8.521' पू	30° 58.279' उ.
3	ई03	77° 9.378' पू	30° 59.397' उ.
4	ई04	77° 10.083' पू	31° 0.292' उ.
5	ई05	77° 13.862' पू	30° 59.188' उ.
6	ई06	77° 15.890' पू	30° 58.023' उ.
7	ई07	77° 16.746' पू	30° 56.912' उ.
8	ई08	77° 14.834' पू	30° 54.941' उ.
9	ई09	77° 13.031' पू	30° 53.749' उ.
10	ई10	77° 12.241' पू	30° 53.429' उ.
11	ई11	77° 11.370' पू	30° 54.089' उ.
12	ई12	77° 9.906' पू	30° 55.107' उ.
13	ई13	77° 8.757' पू	30° 56.670' उ.
14	ई14	77° 10.932' पू	31° 0.389' उ.
15	ई15	77° 12.723' पू	30° 59.223' उ.
16	ई16	77° 12.360' पू	30° 57.897' उ.
17	ई17	77° 13.112' पू	30° 57.979' उ.
18	ई18	77° 14.246' पू	30° 57.500' उ.
19	ई19	77° 13.316' पू	30° 57.371' उ.

20	ई20	77° 12.655' पू	30° 57.477' उ.
21	ई21	77° 13.262' पू	30° 56.291' उ.
22	ई22	77° 11.982' पू	30° 55.762' उ.
23	ई23	77° 11.491' पू	30° 56.598' उ.
24	ई24	77° 10.538' पू	30° 56.761' उ.
25	ई25	77° 9.757' पू	30° 57.578' उ.
26	ई26	77° 11.471' पू	30° 57.808' उ.
27	ई27	77° 11.256' पू	30° 59.466' उ.

चैल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दुओं का निर्देशांक

क्र.सं.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	ई01	77° 8.791' पू.	30° 58.774' उ.
2	ई02	77° 9.144' पू	30° 59.159' उ.
3	ई03	77° 10.532' पू	30° 59.709' उ.
4	ई04	77° 10.882' पू	31° 0.767' उ.
5	ई05	77° 13.101' पू	30° 59.432' उ.
6	ई06	77° 13.868' पू	30° 58.647' उ.
7	ई07	77° 14.832' पू	30° 57.534' उ.
8	ई08	77° 14.183' पू	30° 56.614' उ.
9	ई09	77° 13.068' पू	30° 55.398' उ.
10	ई10	77° 11.486' पू	30° 55.388' उ.
11	ई11	77° 10.556' पू	30° 56.208' उ.
12	ई12	77° 9.504' पू	30° 56.419' उ.
13	ई13	77° 9.500' पू	30° 57.429' उ.
14	ई14	77° 9.778' पू	30° 58.330' उ.

उपाबंध II

चैल वन्यजीव अभ्यारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने-वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	वन प्रभाग का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	देशांतर	अक्षांश
1	शिमला (वन्यजीव) प्रभाग	चैल	मेहनी	77°11'30.249"	30°58'56.195"
2		सकोरी	सकोरी	77°11'39.054"	30°58'36.602"
3		बंजिनी	बिन्नू	77°10'42.251"	31°0'22.496"

4		बंजिनी	निरुद्ध	77°10'58.509"	31°0'7.254"
5		बंजिनी	बंजिनी	77°11'48.3"	30°58'54.261"
6		बंजिनी	कहणा	77°11'55.413"	30°59'28.471"
7		बंजिनी	शिलाई	77°11'31.195"	30°59'45.238"
8		झाझी	झाझा	77°10'8.04"	30°57'51.599"
9		झाझी	कोरो	77°10'33.444"	30°57'31.615"
10		झाझी	कोहला	77°10'53.428"	30°57'41.099"
11		झाझी	शका	77°11'24.929"	30°57'53.293"
12		झाझी	महोग	77°11'44.235"	30°57'53.801"
13		झाझी	कैथल	77°11'4.775"	30°58'8.027"
14		झाझी	छबरि	77°10'27.944"	30°57'58.035"
15		झाझी	पोत्र्श	77°09'13.677"	30°58'35.462"
16		ढंगील	सवेरा	77°11'13.751"	30°56'44.703"
17		ढंगील	घेंति	77°09'28.58"	30°57'32.631"
18		नगली	नगली	77°13'20.091"	30°57'17.728"
19		नगली	जयदयाल	77°11'30.249"	30°57'17.558"
20		नगली	जेतना	77°14'2.092"	30°56'56.897"
21		नगली	टिककर	77°14'34.609"	30°57'8.074"
22		नगली	नवाज	77°14'20.891"	30°57'0.961"
23		नगली	कंनोअरी	77°13'38.382"	30°55'57.791"
24		नगली	कानो	77°12'29.623"	30°56'40.808"
25		नगली	हुक्कल	77°12'37.583"	30°56'53.001"
26		नगली	घेवा	77°13'25.003"	30°56'26.243"
27		नगली	महोरी	77°13'8.406"	30°56'37.082"
	कुल क्षेत्रफल	13.6 वर्ग कि.मी.			

उपाबंध III

चैल वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशांतर का मानचित्र

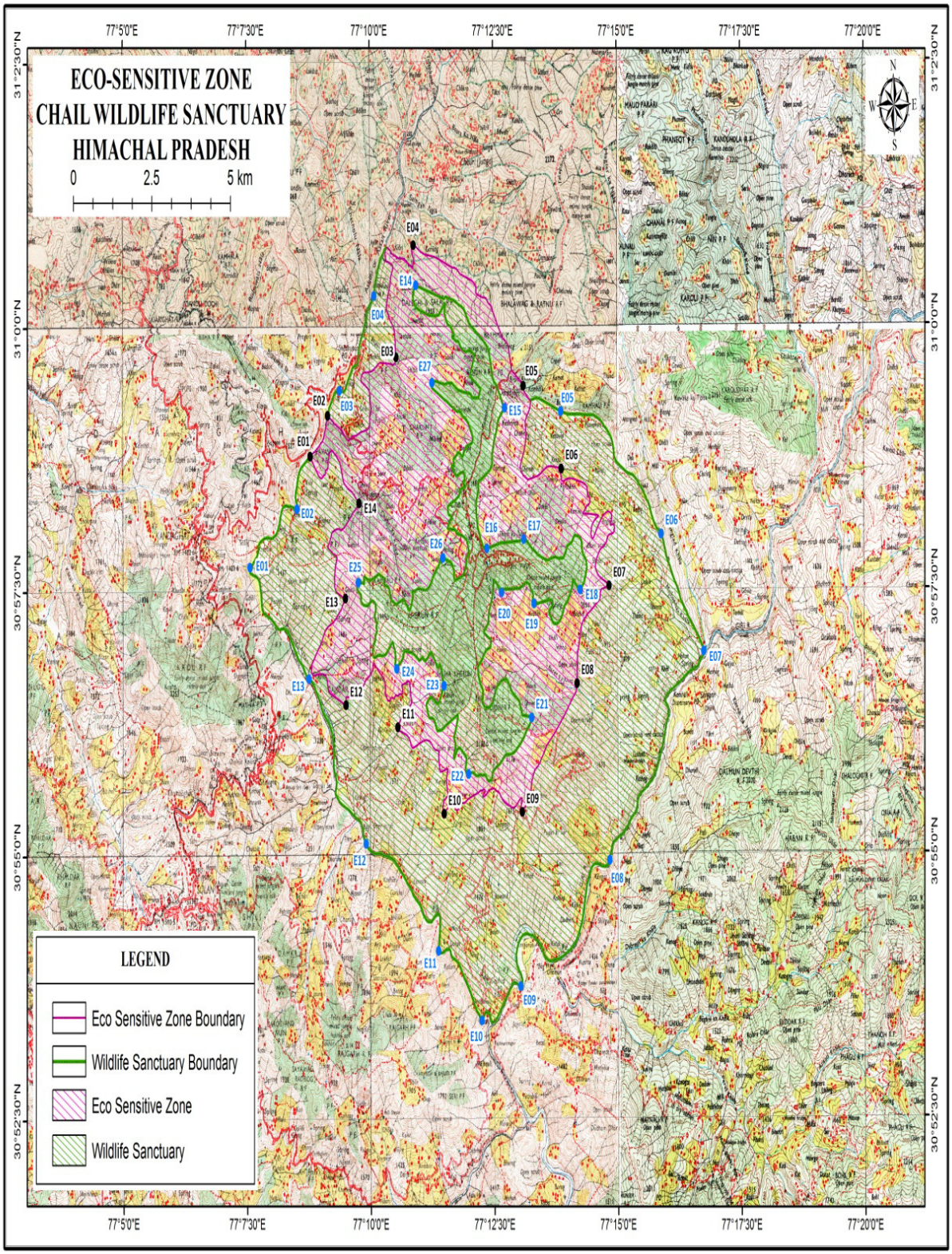

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति, पर्यटन महायोजना सहित।
4. भू अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए निपटान किए गए मामलों का सारांश विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

   विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों के लिए संविक्षा किये गए मामलों का सारांश।

   विवरण पृथक उपाबंध के रूप संलग्न करें।
6. ईआईए अधिसूचना ,2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों के लिए संविक्षा किए गए मामलों का सारांश।

   विवरण पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण) (1986 की धारा) के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश 19।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2015

S.O. 3128(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Chail Wildlife Sanctuary located in Solan District, Himachal Pradesh and lying between 77°07'20" to 77°16'44" E longitude and 30°53'36" to 31°00'42" N latitude spread over an area of 16 square kilometres.

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary. The main wildlife species found in the sanctuary are Barking deer, Sambar Leopard, Black bea, Ghoral, rhesus monkey, Languor, porcupine. Among birds the main species are Cheer pheasant, Chakor Kaliz, Rod Jungle Fowl, Indian Pea Fowl, specked wood pigeon, Himalayan Wood pecker etc. Besides this other invertebrates, amphibians and reptiles are also found in the area. The highly endangered species of deer i.e. Ghoral are found in this area. Other main species found are Cheer pheasant, leopard, goral, and barking deer.

The sanctuary has very good vegetation in the form of mixed forests while the open waste land is covered with grass along with shrubs. Deodar is the dominant species of the area occupying the top canopy. Other species include Ban Oak, Kail. spruce, silver fir, poplar, rhododendron, chir, kainth, khanor, Acacia mollissima etc. Middle story is negligible and ground flora is covered by a number of shrub species like Desmodium, Indigofera, Salix, Berberis, Rosa, Rubus, and Daphnae etc. Ground flora also includes various grass species, variety of ferns and vascular herbs.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Chail Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries and class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 375 meters around the boundary of Chail Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Chail Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The eco-Sensitive Zone shall be of 34.04 square kilometre with an extent varying from 0.7 to 4.2 kilometre around the boundary of Chail Wildlife Sanctuary.

(2) The boundary details of Chail Wildlife Sanctuary and its eco-sensitive zone in terms of GPS coordinates are given in **Annexure-I.**

(3) The list of villages are falling in Eco-sensitive Zone are given at **Annexure-II**.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture, and

(ix) Himachal Pradesh State Pollution Control Board,

(x) Irrigation

(xi) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological consideration into it.

(6) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(7) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(8) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12,23,30,31, and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guideline issued by national Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Chail Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in predefined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(12) **Industrial Units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than one to ten and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Fishing by mechanical means	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan
13.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Trenching ground	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
15.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
16.	Air and Vehicular Pollution	Regulated under applicable laws.
17.	Noise pollution	Regulated under applicable laws.
18.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws.
19.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
20.	Migratory graziers	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
21.	Existing establishments	Regulated under applicable laws
22.	Insulation of electric lines	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
23.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

24.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one metre. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
25.	Timber Distribution Rights	Regulated under applicable laws
26.	Resin Tapping	Regulated under applicable laws
	Promoted Activities	
27.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries	Shall be actively promoted
28.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
30.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
31.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprises the following members namely:-

(i) Deputy Commissioner, Solan - Chairman

(ii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of one year in each case. - Member

(iii) One representatives of Non-governmental Organization (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year in each case. - Member

(iv) Executive Engineer, Himachal Pradesh Pollution Control Board - Member

(v) Senior Town Planner - Member

(vi) Divisional Forest Officer, Shimla - Member

(vii) Divisional Forest Officer, Solan - Member-Secretary

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 butare falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[F. No.25/50/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary details of Chail Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Chail WLS

Sl._No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	77° 7.569' E	30° 57.728' N
2	E02	77° 8.521' E	30° 58.279' N
3	E03	77° 9.378' E	30° 59.397' N
4	E04	77° 10.083' E	31° 0.292' N
5	E05	77° 13.862' E	30° 59.188' N
6	E06	77° 15.890' E	30° 58.023' N
7	E07	77° 16.746' E	30° 56.912' N
8	E08	77° 14.834' E	30° 54.941' N
9	E09	77° 13.031' E	30° 53.749' N
10	E10	77° 12.241' E	30° 53.429' N
11	E11	77° 11.370' E	30° 54.089' N
12	E12	77° 9.906' E	30° 55.107' N
13	E13	77° 8.757' E	30° 56.670' N
14	E14	77° 10.932' E	31° 0.389' N
15	E15	77° 12.723' E	30° 59.223' N
16	E16	77° 12.360' E	30° 57.897' N
17	E17	77° 13.112' E	30° 57.979' N
18	E18	77° 14.246' E	30° 57.500' N
19	E19	77° 13.316' E	30° 57.371' N
20	E20	77° 12.655' E	30° 57.477' N
21	E21	77° 13.262' E	30° 56.291' N
22	E22	77° 11.982' E	30° 55.762' N
23	E23	77° 11.491' E	30° 56.598' N
24	E24	77° 10.538' E	30° 56.761' N
25	E25	77° 9.757' E	30° 57.578' N
26	E26	77° 11.471' E	30° 57.808' N
27	E27	77° 11.256' E	30° 59.466' N

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Chail WLS

SI._No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	77° 8.791' E	30° 58.774' N
2	E02	77° 9.144' E	30° 59.159' N
3	E03	77° 10.532' E	30° 59.709' N
4	E04	77° 10.882' E	31° 0.767' N
5	E05	77° 13.101' E	30° 59.432' N
6	E06	77° 13.868' E	30° 58.647' N
7	E07	77° 14.832' E	30° 57.534' N
8	E08	77° 14.183' E	30° 56.614' N
9	E09	77° 13.068' E	30° 55.398' N
10	E10	77° 11.486' E	30° 55.388' N
11	E11	77° 10.556' E	30° 56.208' N
12	E12	77° 9.504' E	30° 56.419' N
13	E13	77° 9.500' E	30° 57.429' N
14	E14	77° 9.778' E	30° 58.330' N

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAIL WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Nam of Forest Division	Name of Panchayat	Name of Village	Longitude	Latitude
1	Shimla (WL) Division	Chail	Mehanii	77°11’30.249”	30°58’56.195”
2		Sakori	Sakori	77°11’39.054”	30°58’36.602”
3		Banjini	Binnu	77°10’42.251”	31°0’22.496”
4		Banjini	Nirudh	77°10’58.509”	31°0’7.254”
5		Banjini	Banjini	77°11’48.3”	30°58’54.261”
6		Banjini	Khinna	77°11’55.413”	30°59’28.471”
7		Banjini	Shillai	77°11’31.195”	30°59’45.238”
8		Jhajhi	Jhajha	77°10’8.04”	30°57’51.599”
9		Jhajhi	Koro	77°10’33.444”	30°57’31.615”
10		Jhajhi	Kohla	77°10’53.428”	30°57’41.099”
11		Jhajhi	Shakog	77°11’24.929”	30°57’53.293”
12		Jhajhi	Mahog	77°11’44.235”	30°57’53.801”
13		Jhajhi	Kathala	77°11’4.775”	30°58’8.027”
14		Jhajhi	Chhabri	77°10’27.944”	30°57’58.035”
15		Jhajhi	Poash	77°09’13.677”	30°58’35.462”
16		Dhangeel	Sewera	77°11’13.751”	30°56’44.703”
17		Dhangeel	Ghainti	77°09’28.58”	30°57’32.631”
18		Nagali	Nagali	77°13’20.091”	30°57’17.728”
19		Nagali	Jadyal	77°11’30.249”	30°57’17.558”
20		Nagali	Jethna	77°14’2.092”	30°56’56.897”
21		Nagali	Tikker	77°14’34.609”	30°57’8.074”
22		Nagali	Nawag	77°14’20.891”	30°57’0.961”
23		Nagali	Kanoari	77°13’38.382”	30°55’57.791”
24		Nagali	Kano	77°12’29.623”	30°56’40.808”

25		Nagali	Hukkal	77°12'37.583"	30°56'53.001"
26		Nagali	Ghewa	77°13'25.003"	30°56'26.243"
27		Nagali	Mahori	77°13'8.406"	30°56'37.082"
	Total Area	13.6 sq.km			

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHAIL WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

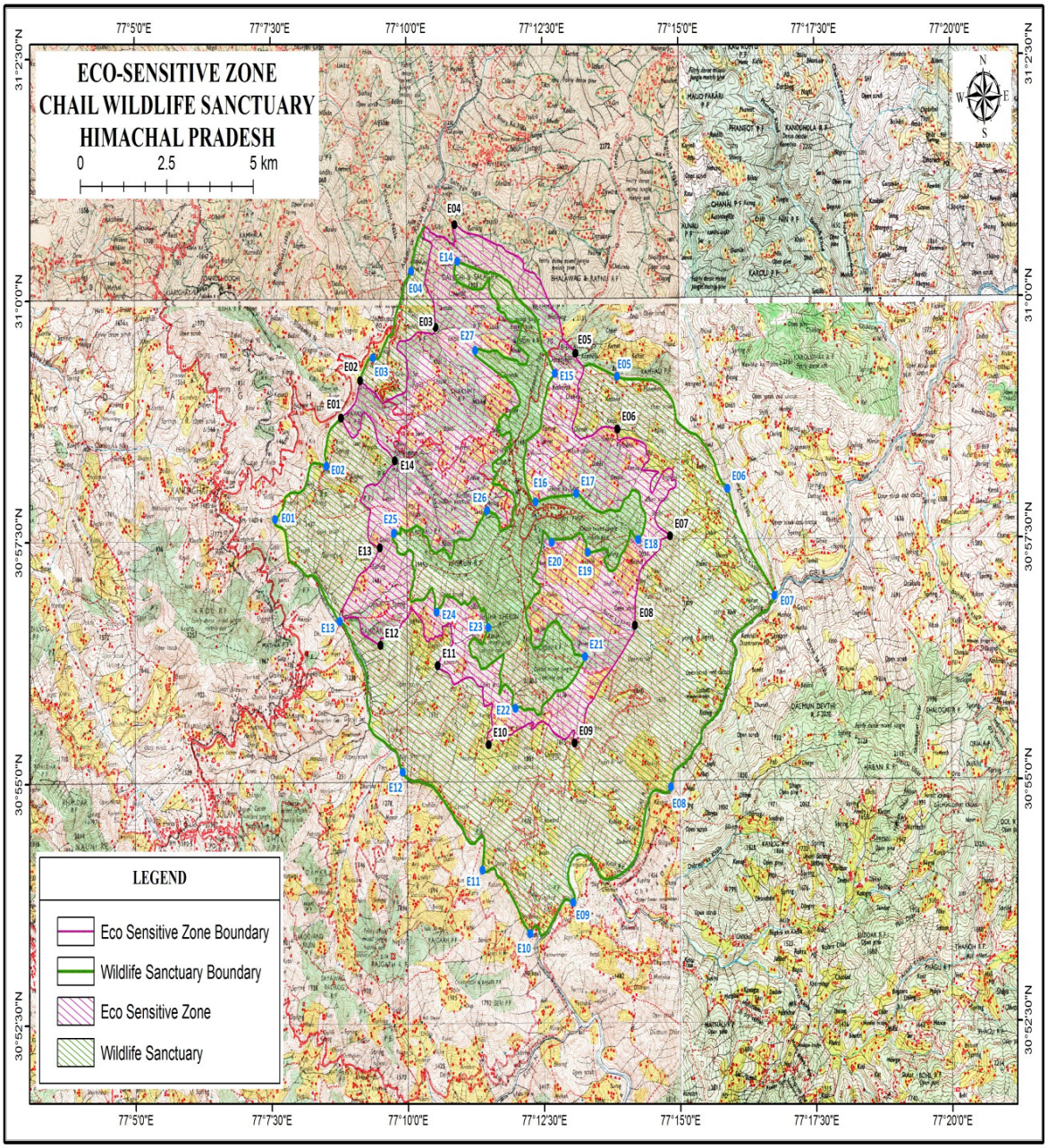

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.